न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी –हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 09/2024 तारीख रजू :– 27.05.2022

जीसीएमएस नं0 2024/103

1. रामसिंह
2. रूपसिंह
3. विजेन्द्र
4. साहबसिंह
5. रूमाली

पुत्रान–भम्मल सभी जातियान–मीना निवासी–कटकड तहसील–हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमराज
2. जैराम
3. धर्मपाल
4. बजरंग

पुत्र रामप्रसाद जाति–मीना निवासी–कटकड तहसील–श्रीमहावीरजी जिला–करौली राजस्थान

5. मु. रूमाली पत्नि जयराम जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डोन
6. हरीसिंह पुत्र भम्मल जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

————— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी</u>

उपस्थिति:– 1. श्री अशोक नीमनका वकील प्रार्थी

2. 1 ता 6 की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही

3. अप्रार्थी नं0 7 पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:14:28 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> दिनांक :–10.06.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0 न0 4701/2520 रकबा 29 ऐयर स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे अप्रार्थीगण का कीाी कोई सरोकर नहीं है। यह

कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा न0 4701/2830 की उत्तर दिशा में खसरा न0 2824 व 2829 अप्रार्थी स0 1 ता 5 की खातेदारी की दक्षिण दिशा में रास्ताआम पूर्व दिशा में खसरा न0 4699/2830 अप्रार्थी स. 6 की खातेदारी में एवं पश्चिम दिशा में ख0 न0 3012 अप्रार्थी स. 1 ता 4 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर काबिज एवं दखील है। लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा न0 4701/2830 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण स. 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 3012 स्थित है। जिनकी मध्य डौल को लेकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के बीच आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। साथ ही अप्रार्थीगण स0 1 ता 4 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न0 4701/2830 की पश्चिम डोल को तोडने का प्रयास करते रहे है। इसलिये उक्त भूमि को लेकर विवाद की स्थिति समाप्त करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

बाका दिनांक 10.03.2023 को अप्रार्थीगण एक राय होकर आए एवं कहने लगे कि तुम्हारे पास खातेदारी से अधिक भूमि पर कब्जा है। इसलिये अब हम तुम्हें काश्त नहीं करने देगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपनी–अपनी भूमियों की नाप जरिये तहसीलदार से करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट मना कर दिया और स्पष्ट कहा कि अब तुम्हारे खेत की पश्चिमी डौल को तोडकर कब्जा करेगे। और कोई नाप नहीं करायेगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन व किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की खेत खसरा न0 4701/2830 रकबा 29 ऐयर वाके ग्राम कटकड की चारो ओर मेडो की सीमा निर्धारित करते हुऐ पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 6 बाबजूद सूचना उपस्थि[illegible] इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी पेशकार [illegible] पटवारी हल्का कटकड द्वारा जबाब पेश किया गया जिसमें उक्त आराजी खसरा न0 4701/2830 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम कटकड के संबंध में जबाब पेश कर पत्थरगढी के आदेश होने पर पत्थरगढी करवाने का तथ्य अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:14:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 4701/2830 रकवा 0.2928 ऐयर में प्रार्थीगण रामसिंह हिस्सा 1/5, रूपसिंह हिस्सा 1/5, विजेन्द्र हिस्सा 1/5, साहबसिंह हिस्सा 1/5, रूमाली हिस्सा 1/5 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4701/2830 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 4701/2830 रकबा 0.29 ग्राम कटकड का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खसरा नम्बर 4701/2830 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 10.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:14:28 IST
Reason: SelfAttested

10/6/24
(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनजिला करौली